

स्पीड पोस्ट

संख्या-6/एफ1-306/2015 श्र0सं0-

23

बिहार सरकार,

श्रम संसाधन विभाग

आवंटनादेश

प्रेषक,

एस० सिद्धार्थ,

सचिव।

सेवा में,

सहायक श्रमायुक्त, कटिहार /सहरसा /डालमियानगर(रोहतास) ।

श्रम अधीक्षक, खगड़िया /नालन्दा (बिहारशरीफ) /मोतिहारी /जहानाबाद /नवादा ।

पटना, दिनांक :- 13.7.15

विषय:- आय-व्ययक शीर्ष-2230-श्रम तथा रोजगार-01-श्रम-103-सामान्य श्रम कल्याण-मांग संख्या-26-
उपशीर्ष -0103-बाल श्रमिक पुनर्वास तंत्र का सुदृढीकरण (विपत्र कोड-पी 2230011030103) के
अन्तर्गत निधि का आवंटन ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक के संदर्भ में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-1455 दिनांक 18.5.15 के आलोक
में बाल श्रमिक पुनर्वास तंत्र का सुदृढीकरण योजनान्तर्गत विमुक्त कराये गये/कराये जानेवाले बाल श्रमिकों हेतु चालू
वित्तीय वर्ष 2015-16 में 31 मार्च, 2016 तक व्यय के निमित्त सामग्री एवं पूर्तियाँ इकाई (21 01) में ₹
1500/- राशन एवं ₹ 300/- वस्त्र अर्थात् कुल ₹ 1800/- प्रति बाल श्रमिक की दर से सभी 203 बाल श्रमिकों
को संलग्न विवरणी के अनुसार निधि का आवंटन किया जाता है।

2. यह आवंटन कुल ₹ 3,65,400 (₹ तीन लाख पैंसठ हजार चार सौ) वित्त विभाग के पत्रांक-295/वि0
दिनांक-24.03.15, पत्रांक-5294 वि० दिनांक-17.06.2015 एवं वित्त आयुक्त के स्थायी ज्ञापांक-2561/ वि0 (2)
दिनांक 17.04.98 के आलोक में है ।

3. इस आवंटित राशि से किसी भी परिस्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जाय । यदि आवंटित राशि से
अधिक व्यय किया जाता है तो वह अनियमित होगा ।

4. आवंटित राशि से हुए व्यय का व्यय प्रतिवेदन/उपयोगिता प्रमाण पत्र विहित प्रपत्र में ससमय उपलब्ध करा
दी जाय ।

5. यह आवंटन राज्य योजना से संबंधित है ।

विश्वासभाजन,

(एस० सिद्धार्थ)

सचिव

ज्ञापांक:-6/एफ1-306/2015 श्र0सं0-

23

पटना, दिनांक 13.7.15

प्रतिलिपि- अनुलग्नक सहित महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(एस० सिद्धार्थ)

सचिव

ज्ञापांक:-6/एफ1-306/2015 श्र0सं0-

23

पटना, दिनांक 13.7.15

प्रतिलिपि- अनुलग्नक सहित सचिव के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/ संबंधित
प्रमंडलीय आयुक्त /संबंधित जिला पदाधिकारी /संबंधित कोषागार /उप कोषागार पदाधिकारी /प्रशाखा-2 सरकार
पक्ष /सहायक श्रमायुक्त, प्रभारी पदाधिकारी, मुख्यालय एवं प्रशाखा-01 को उनके गै०स०प्रे०सं०-104, 111 एवं 116
(श्रम पक्ष) क्रमशः दि-22.6.15, 26.6.15 एवं 03.7.15 के आलोक में)/आई०टी०मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग,
बिहार, पटना /प्रशाखा-6, श्रम पक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उपयोगिता प्रमाण पत्र का संभारण संबंधित शाखा द्वारा किया जायेगा ।


(एस० सिद्धार्थ)

सचिव

विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-1455 दिनांक 18.5.15 के आलोक में आय-व्ययक शीर्ष-2230-श्रम तथा रोजगार-01-श्रम-राज्य योजना-103-सामान्य श्रम कल्याण-मांग संख्या-26 उपशीर्ष-0103-बाल श्रमिक पुनर्वास तंत्र का सुदृढीकरण (विपत्र कोड पी 2230011030103) के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में 31 मार्च, 2016 तक व्यय के निमित्त निधि का समेकित आवंटन की विवरणी-

क्र० सं०	कार्यालय का नाम	बच्चे की संख्या	सामग्री एवं पूर्तियाँ (21-01) ₹ 1500/- राशन एवं ₹ 300/- वस्त्र हेतु प्रति बाल श्रमिक	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	सहायक श्रमायुक्त, सहरसा	12	21600	-
2	सहायक श्रमायुक्त, कटिहार	25	45000	-
3	सहायक श्रमायुक्त, डालमियानगर(रोहतास)	28	50400	रोहतास (17 बाल श्रमिक के लिए) कैमूर (11 बाल श्रमिक के लिए)
4	श्रम अधीक्षक, खगड़िया	11	19800	-
5	श्रम अधीक्षक, नालन्दा (बिहारशरीफ)	06	10800	-
6	श्रम अधीक्षक, मोतिहारी	62	111600	पत्रांक-531 दि.-30.5.15 के आलोक में
7	श्रम अधीक्षक, जहानाबाद	09	16200	तेलंगाना, हैदराबाद से विमुक्त बाल श्रमिकों के लिए ।
8	श्रम अधीक्षक, नवादा	50	90000	तेलंगाना, हैदराबाद से विमुक्त बाल श्रमिकों के लिए ।
	कुल योग	203	365400	

कुल आवंटित राशि ₹ 3,65,400 (₹ तीन लाख पैंसठ हजार चार सौ) मात्र ।


(एस. सिद्धार्थ)
सचिव